

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

18 संस्थानिक क्षेत्र (Institutional Area)

शहीद जीत सिंह मार्ग, Shaheed Jeet Singh Marg

नई दिल्ली / New Delhi – 110016

Website: www.kvsangathan.nic.in

SPEED POST

F. 11058-प्राथ.शि./2018/केविसं-मु./आर0पी0एस0/3642-44

दिनांक – 27.02.2019

कार्यालय – आदेश


विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति एवं सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से निम्नलिखित प्राथमिक अध्यापकों को भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग के पत्र सं.एफ.5-180/86-यूटी-1 दिनांक 12.08.1987, 03.11.1987 एवं 06.02.1989 द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार ₹.9300—34800/- एवं ₹.4800/- के ग्रेड पे के साथ चयनित वेतनमान स्वीकृत किया जाता है बशर्ते कि उन्होंने प्राथ.शि. के पद पर प्राप्त वरिष्ठ वेतनमान पर 12 वर्ष की सेवाएं पूर्ण की हों तथा वह चयनित वेतनमान स्वीकृति की तिथि तक उसी पद पर कार्यरत हों। यदि उन्हें कभी भी, किसी भी कारण वश चयनित वेतनमान हेतु अयोग्य पाया जाता है तो इस आदेश को वापिस ले लिया जाएगा तथा चयनित वेतनमान पर आहरित की गई राशि वापिस लौटाना होगी।

सभी संबंधित प्राथ.शिक्षकों का चयनित वेतनमान पर वेतन निर्धारण केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों पर लागू वित्तीय नियम-22 (I)(ए)(2) के प्रावधानों के अनुसार ही नियत किया जाएगा। तदानुसार उनके पास विकल्प हैं—(1) नए वेतनमान में अपना वेतन चयनित वेतनमान देय तिथि से नियत करवा लें या (2) अपना वेतन पुराने पद के वरिष्ठ वेतनमान में अपनी वेतन-वृद्धि की तारीख से नियत करवा लें। यदि संबंधित शिक्षक अपना वेतन पुराने पद के वरिष्ठ वेतनमान में अपनी अगली वेतन-वृद्धि की तारीख से नियत करने का विकल्प लेता है तो उनका वेतन उसी चरण पर नियत किया जाएगा, यदि वह चरण उपलब्ध हो या पुराने पद के वरिष्ठ वेतनमान में सामान्य वेतनवृद्धि की स्वीकृति प्रदान करते हुए चयनवेतनमान पर अगला चरण उपलब्ध हो (i.e. in case, the individual opts for fixation of his/her pay w.e.f. the date of his/her next increment in the Senior Scale of the old post, his/her pay will have to be fixed at the same stage if the same stage is available or the next stage in the selection scale after allowing normal increment in the senior scale of the old post.) वेतन निर्धारण का विकल्प संबंधित प्राचार्य को इस आदेश की प्राप्त होने के तिथि से एक महीने के भीतर प्रस्तुत करना होंगा तथा इस संदर्भ में जो भी विकल्प दिया जाएगा वह अंतिम होगा। प्राथ.शिक्षकों के विवरण निम्नानुसार हैं—

प्राथमिक शिक्षक—₹.9300—34800/- एवं ग्रेड पे ₹.4800/-

क्रम सं.	वरीयता क्रमांक	प्राथमिक शि. अध्यापक का नाम	केऽविदि का नाम	प्राथ.शि. के पद पर कार्यभार ग्रहण तिथि	प्राथ.शि. के पद पर वरिष्ठ वेतनमान तिथि	चयनित वेतनमान स्वीकृति की तिथि
1	9634	श्रीमती वी. दुबे MRS V DUBEY PRT	बैरकपुर BARRACKPORE	23-08-1988	23-08-2000	23-08-2012

2	5802	श्रीमती शीला बाई आर MRS SHEELA BAI R PRT	कोयम्बतूर COIMBATORE	04-09-1985	04-09-1997	04-09-2009
---	------	--	-------------------------	------------	------------	------------


(डॉ. वी. विजयालक्ष्मी)
संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)

प्रतिलिपि प्रेषित –

1— उपायुक्त, के.वि.सं. संभागीय कार्यालय कलकत्ता तथा चेन्नई को उनके पत्र क्रमशः दिनांक 11-10-18 एवं 24-10-2018 के संदर्भ में ।

2— प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय बैरकपुर एवं कोयम्बतूर को सूचनार्थ तथा उनसे प्रार्थना की जाती है कि—

क— चयनित वेतनमान प्रदान करने से पहले आदेश में संबंधित शिक्षक के दिये गए विवरण उनके सेवा रिकार्ड से जांच लिए जाएं। यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि किसी भी संबंधित शिक्षक की पदोन्नति की तिथि उनके चयनित वेतनमान स्वीकृति की तिथि से पूर्व न हों। कोई भी त्रुटि पाए जाने पर आदेश प्राप्ति की तिथि से 15 दिन के अंदर इस कार्यालय को सूचित करना सुनिश्चित करें।

ख— संबंधित शिक्षक से निर्धारित प्रोफोर्म में वचनबंध— तीन प्रति— ले ली जाएं जिसकी एक प्रति उसके सेवा—पुस्तिका, दूसरी प्रति उसके व्यक्तिगत—मिसिल तथा तीसरी प्रति संबंधित संभागीय कार्यालय को सूचनार्थ अग्रेषित की जाए।

ग—इस आदेश को प्रभावित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि (1) संबंधित शिक्षक के खिलाफ कोई सतर्कता मामला/विभागीय कार्रवाई लंबित ना हो और (2) संबंधित शिक्षक ने चयनित वेतनमान देय तिथि से पिछले 06 वर्षों में 21 दिवसीय सेवाकालीन प्रशिक्षण ग्रहण किया हो।

ध—अन्य विवरण जैसे के.वि. का नाम, पदभार ग्रहण तिथि/वरिष्ठ वेतनमान देय तिथि भी जांच ली जाएं।

3. इडीपी सैल up load the order in the web site of KVS.